

**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
आदेश**

शासन उपसचिव, शिक्षा(गुप-2)विभाग जयपुर के पत्रांक पं.7(1)शिक्षा-2/ संशोधन प्रस्ताव प्रधा प्र.अ. व्या/2016 दिनांक 10.01.2017 द्वारा प्राप्त अनुमोदन के आधार पर राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाध्यापकों के पदस्थापन/समायोजन इनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क.सं.	नाम	कहाँ से (समाधि/ राबामाधि)	Distt	कहाँ को(समाधि/ रामाधि)	Distr
1	श्यामलाल बंसल	4 एम एल निम्मावाला से 29 जीबी शिवपुरी के आदेश पर	ganganagar	2 ई छोटी गंगानगर	gananganar
2	गोपाल लाल जाट	मण्डावरा फागी से कँवरपुरा-आमेर के आदेश पर	Jaipur	मण्डावरा फागी	Jaipur
	संदीप कुमार वशिष्ठ	बिलौची आमेर से मण्डावरा फागी के आदेश पर	Jaipur	कँवरपुरा-आमेर	Jaipur
3	कृष्णचन्द्र	बा0 ललानिया-नोहर	hanumangarh	खोदासरी-रावतरसर	hanumangarh
4	शंकरलाल	खोदासरी-रावतरसर	hanumangarh	बा0 ललानिया-नोहर	hanumangarh
5	अशोककुमार वर्मा	देवथला जयपुर से बा0 बनेठी जयपुर के आदेश पर	Jaipur	देवथला जयपुर	Jaipur
6	जगदीश प्रसाद रामावत	देवथला जयपुर	Jaipur	बनेठी-कोटपुतली	Jaipur
7	सुरेश कुमार लेखरा	बा0 रामगढिया-मादरा	hanumangarh	डबली राठान	hanumangarh
8	पवन कुमार	नोख बाडमेर से धिरोदा राजगढ के आदेश पर	churu	गाजूदास	CHURU

इन्हें अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 25.01.17 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करना है। कार्यग्रहण की सूचना शालादर्पण में दर्ज करना सुनिश्चित करें। राजस्थान ग्रामीण स्वच्छया शिक्षा सेवा नियम (RVRES) में नियुक्त अधिकारी शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कर सकेंगे। क.सं. 4 एवं 6 को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।



(बी.एल.स्वर्णकार)

आई.ए.एस.


निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

कमांक-शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1/45001/स्था-समा/2016-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. शिक्षा सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
3. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(गुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर
4. संबंधित उप निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक)
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक-1/II/विधि)
6. संबंधित संस्था प्रधान को पाबंद किया जाता है कि कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की कार्यवाही शालादर्पण के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।
7. संबंधित कार्मिक
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)